

हमें सैनिकों के मनोबल की और भी ध्यान देना चाहिये। वे देशभक्त हैं और जातिवाद से मुक्त हैं। हमें उन्हें पर्याप्त भत्ता और पेन्शन देनी चाहिये। मैं जानता हूँ कि हाल ही में प्रतिरक्षा संगठन मंत्री ने इस सम्बन्ध में कुछ किया है। हम अपनी सेना में सर्वोत्तम सैनिक गुणों से युक्त अनुशासित, उपकरणों और प्रशिक्षण से सज्जित सैनिक चाहते हैं। हमारी सेना किसी से भी लड़े और किसी पर भी आक्रमण किये बिना ही, एक ऐसी सेना होगी जिस पर कि सारे संसार को गर्व होगा।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरे सहयोगी, माननीय प्रतिरक्षा मंत्री निरसंदेह इस वाद-विवाद के दौरान में उठाये गये बड़े बड़े मसलों और की गई आलोचनाओं तथा सुझावों के सम्बन्ध में कहेंगे। पर, मैंने तो प्रतिरक्षा नीति सम्बन्धी मोटे-मोटे और मूल सिद्धान्तों और विशेषकर हमारे सामने खड़ी हुई समस्याओं की ओर लोक सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिये ही हस्तक्षेप किया है।

मैंने आज वाद-विवाद में कुछ चिन्ता का पुट पाया है। यह चिन्ता अभी हाल ही में घटी कुछ घटनाओं के बारे में है और अब यह चिन्ता प्रायः आशंका का रूप धारण कर चुकी है। यह चिन्ता इस भय के कारण है कि वहाँ हमारा पड़ोसी देश भारत पर हमला न कर दे और हम उसके लिये तैयार न हों। निरसंदेह इस आशंका की जड़ में सीमा पर अभी हाल ही में हुई कुछ घटनायें हैं और विशेषकर यह तथ्य भी है कि एक बड़ी विदेशी शक्ति सैनिक सहायता दे रही है। यह बिल्कुल सच है कि भारत की प्रतिरक्षा सम्बन्धी वर्तमान परिस्थिति पर एक बड़े देश से मिल रही इस सैनिक सहायता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, और इसलिये हमें इस परिस्थिति को इसी नई रोशनी में देखना है।

मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने हमें अपनी सेना के आधुनिकतम उपकरण, सर्वोत्तम प्रशिक्षण और ऐसी ही कुछ अन्य चीजों से सज्जित किये जाने की मांग की है। इसका ठीक-ठीक अर्थ क्या है? मेरा विचार है कि युद्ध-उपकरणों के प्रौद्योगिक में—वह चाहे प्रतिरक्षा के समय में हो या आक्रमण के समय में—अभी जितना द्रुत और बड़ा सुधार हुआ है, उतना किसी अन्य में नहीं हुआ। और सचमुच, उसके आधुनिकतम उदाहरण, सबसे अन्तिम उदाहरण हैं—आणविक शस्त्र, अणु बम या उद्जन बम। अब तक की इस सारी प्रक्रिया की सबसे अन्तिम परिणति यही है। यदि आप इसे कसीटी मानें, तो उसका अर्थ केवल यही होगा कि यदि व्यावहारिक रूप में कहा जाये तो दो बड़ी शक्तियों को छोड़कर संसार का कोई भी देश पर्याप्त रूप से प्रतिरक्षित नहीं है, क्योंकि केवल उन दो देशों के पास ही ये आणविक शस्त्र प्रचुर मात्रा में हैं। एक-दो और देशों के पास भी थोड़े बहुत ऐसे शस्त्र हैं, लेकिन अपेक्षाकृत थोड़े ही हैं, और अन्य देशों के पास तो ये बिल्कुल हैं ही नहीं तब फिर, किसी देश की प्रतिरक्षा की पर्याप्तता किस प्रकार जांची जा सकती है।

यह तो स्पष्ट है कि यदि आणविक शस्त्रों से सज्जित कोई शक्ति भारत पर पूरी तौर से आक्रमण करती है, तो शुद्ध सैनिक दृष्टिकोण से हमारे पास अपनी प्रतिरक्षा के अधिक साधन नहीं हैं। हो सकता है कि, अन्य दृष्टिकोणों से हम इतने पर भी आणविक बमों के इस संकट का सामना करने में समर्थ हो जायें, क्योंकि जीवनी शक्ति से सम्पन्न, शक्तिशाली और एकीकृत जनता को कभी भी आत्मसमर्पण न करने वाली जनता को कोई भी किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकता है। इसीलिये, मैंने बहुधा यही कहा है कि अणु-बम का वास्तविक उत्तर उससे कुछ भिन्न क्षेत्रों में ही मिल सकता है। मैं इसका उल्लेख इसलिये कर रहा हूँ क्योंकि अन्तिम विश्लेषण में जनता की एकता की भावना, हर कठिनाई तथा संकट के बावजूद जनता की जीवित रहने की इच्छा ही महत्वपूर्ण ठहरती है; हमारे सैनिक, या हमारे सैनिक शस्त्र नहीं और, अच्छा हो यदि अन्य समस्याओं पर विचार करते समय भी हम इसको याद

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

रखें, फिर चाहे वह राज्य-पुनर्गठन की समस्या हो या कोई अन्य समस्या हो। यह अच्छा है कि छोटे-मोटे मामलों पर झगड़ते समय, एक-दूसरे का विरोध करते समय, हम इनमें से कुछ मूल प्रस्थापनाओं को याद रखें, हम यह याद रखें कि हम आज किस प्रकार के संसार में रह रहे हैं। यह एक संकटपूर्ण संसार है। यह एक संकटों से पूर्ण संसार है। यह एक ऐसा संसार है जो हमें ऊंचा उठा सकता है; और यदि हम सावधान न रहें, सतर्क न रहें, यदि हम यथाशक्ति कटिबद्ध न रहें तो यह संसार हमें नीचे भी ढकेल सकता है। पृष्ठभूमि यही है।

यदि मुझे भारत के सम्बन्ध में आत्मविश्वास है तो मेरा यह आत्मविश्वास किसी अन्य बात के अतिरिक्त, हमारी जनता की एकता तथा भावना पर ही अधिक निर्भर है। और यदि यही भावना निर्बल हो जाती है, तो फिर मेरे लिये इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आपने कहाँ और कितने टैंक या कितने विमान रखे। लेकिन, हमें इस मामले को एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना चाहिये।

मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दुर्भाग्य की बात यह है कि आज प्रौद्योगिक इतनी द्रुत गति से विकसित हो चुका है। कि यदि अब भविष्य में कोई महायुद्ध होता है तो युद्ध कला के सम्बन्ध में पिछले जमाने की लिखी हुई सभी पुस्तकें और पिछले महायुद्ध में और इससे पहले भी प्रयुक्त हुये सभी शस्त्र शायद पुराने पड़ जायेंगे। इस दृष्टिकोण से देखने पर, बहुत ही थोड़े से देशों को छोड़ कर संसार के लगभग सभी देश और हम भारतीय पूर्ण रूप से पिछड़ गये हैं; और वर्तमान समय में उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं है। हम धीरे-धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तब प्रतिक्षा का समीकार क्या है? प्रतिरक्षा के लिये किसी जनता की शक्ति किस बात में निहित होती है? होता यही है कि इस प्रश्न के उठते ही लोग एकदम प्रतिरक्षा बल, सेना, नौसेना, विमान सेना आदि के सम्बन्ध में सोचने लग जाते हैं। यह बिल्कुल ठीक है। वे प्रतिरक्षा के सबसे अग्रिम मोर्चे हैं। किसी भी आक्रमण की मुख्य चोट उनको ही सहनी पड़ती है। उनका अस्तित्व कैसे बना रहता है? सेना और नौसेना का आधार क्या है? जितना ही आप इसे प्रौद्योगिक के दृष्टिकोण से देखते हैं, जो दृष्टिकोण कि सेनायें, नौसेनायें और विभिन्न विमान बल अधिकाधिक रूप में अपनाते जा रहे हैं, उतना ही आप देश के औद्योगिक और प्रौद्योगिक विकास के समीप पहुँचते जाते हैं। आप एक यंत्र प्रौद्योगिक रूप से किसी बड़े ही पेचीदा या एक विमान, या शस्त्र का आयात करते हैं, और इतना ही नहीं आप किसी को उसका चलाना भी सिखा देते हैं, लेकिन वह होगी तो एक ऊपरी प्रकार की ही प्रतिक्षा, क्योंकि आपके यहां उसको प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि तो है ही नहीं। यदि उसके कुछ पुर्जे बिगड़ जाते हैं, तो आपके लिये तो वह सारा ही यंत्र बेकार हो जाता है। यदि आपको वे पुर्जे नहीं मिलते हैं, यदि उसका विनिर्माता आपको उसका कोई एक पुर्जा देने से इन्कार कर देता है, तो वह यंत्र बेकार हो जाता है। इस तरह, उस दशा में, आप स्वतंत्र होते हुये भी परतंत्र बन जाते हैं, दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं और आजकल यही हो भी रहा है। इस दृष्टिकोण से देखने पर तो इस विशाल संसार में शायद बहुत कम ही देश हैं जो वास्तव में स्वतंत्र हैं। यह दृष्टिकोण है अन्य देशों की सैनिक शक्ति के विरुद्ध अपने ही पैरों पर खड़े हो सकने की सामर्थ्य का, या प्रौद्योगिक उन्नति का। इसलिये, अपनी सेना, नौसेना, आदि के अतिरिक्त हमें देश में एक औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि की भी आवश्यकता है। इसके बाद आती है, इस सबको सहारा देने के लिये देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता। यह इसलिये कि यदि देश की अर्थ-व्यवस्था सुस्थित नहीं है और यदि देश अपनी अर्थ-व्यवस्था तथा जनता के सम्बन्ध में सचमुच ही अपेक्षाकृत सम्पन्न नहीं है, तो वह एक निर्बल देश है : मैं इस लोक-सभा को ऐसे कई देशों के उदाहरण दे सकता हूँ जिनके पास आज सैनिक मानदण्डों से तो एक उत्तम सेना मौजूद है, लेकिन वास्तव में उनकी शक्ति ऊपरी ही है क्योंकि उनकी वह सेना बाह्य कारकों, बाहरी यंत्रों, बाहरी अर्थ-व्यवस्था और बाहरी सहायता पर ही निर्भर है, और इसीलिये इस दृष्टिकोण के अनुसार वे देश, स्वतंत्र कहलाये जाने पर भी, वास्तव में निर्भर देश ही हैं।

इसके बाद, अन्तिम या चौथी बात यह है कि आप जनता की भावना पर निर्भर करते हैं। इसलिये, प्रतिरक्षा का समीकार यह हुआ : आपका प्रतिरक्षा बल धन, आपकी औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक पृष्ठ-भूमि। मैं देश के बाहर बने उपकरणों की बात नहीं कर रहा हूँ; मैं उस पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ जो इन उपकरणों का उत्पादन करती है; तीसरे नम्बर पर आती है देश की अर्थव्यवस्था, और चौथे नम्बर पर है जनता की भावना।

यदि हम संसार के देशों पर दृष्टिपात करें, तो वर्तमान समय में केवल दो ही देश ऐसे हैं जिन्हें सैनिक दृष्टिकोण से बिलकुल पहली पंक्ति में माना जा सकता है। अन्य कई देश मध्य में हैं। इस सब में हमारा स्थान कहां आता है? हम प्रौद्योगिक और औद्योगिक रूप से अपेक्षाकृत पिछड़े हुये, फिर भी हम आजकल एशिया में केवल एक देश जापान को छोड़ कर शायद सभी अन्य देशों से अधिक औद्योगीकृत हैं। मैं इसमें सोवियट के प्रदेशों को नहीं ले रहा हूँ। चीन महान उन्नति कर रहा है, पर मेरे विचार से उसके सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि, औद्योगिक रूप से देखने पर, यदि सब नहीं तो कम से कम कुछ बातों में तो हम उससे आगे हैं ही। सैनिक दृष्टिकोण से तो निश्चय ही हम आगे नहीं हैं। चीन के पास एक विशाल सेना है। हमारे पास अपेक्षाकृत एक छोटी सेना है। लेकिन मैं तो औद्योगिक विकास की बात कह रहा हूँ, अन्य किसी की नहीं। इसलिये, तथाकथित अल्प विकसित देशों में, हम कुछ मामलों में अपेक्षाकृत अधिक उन्नत हैं। आणविक ऊर्जा को लीजिये। इसके क्षेत्र में तो शायद हम संसार के प्रथम छः देशों में, या इसी के आसपास ही कहीं हैं। मैं ठीक से नहीं कह सकता। कहना कठिन भी है। हम प्रथम तीन या चार देशों को निश्चय ही अलग रख रहे हैं। हम दूसरी पंक्ति में आते हैं। भावी शक्ति और वृद्धि की नींव डालने के लिये ये मूलभूत चीजें हैं।

मुझे बताया गया है कि एक माननीय सदस्य ने यहां कहा था : “आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से क्या लाभ है? आपको प्रतिरक्षा पर ही सब कुछ केन्द्रित करना चाहिये।” यह एक गम्भीर बात है। लेकिन, पंचवर्षीय योजना देश की प्रतिरक्षा योजना ही है। नहीं, तो वह और क्या है? क्योंकि प्रतिरक्षा का अर्थ बन्दूकों और अन्य शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों का सड़कों पर कवायद करना ही नहीं होता है। आज किसी देश की प्रतिरक्षा का अर्थ है प्रतिरक्षा के लिये इस देश का औद्योगिक रूप से तैयार होना, उसका वस्तुयें तथा उपकरण बना सकता। अन्यथा, आप केवल दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं और उनसे कुछ ऐसी वस्तुयें खरीदते हैं, जिनसे यदि कुछ थाड़े ही पुर्जे कम पड़ जायें या कुछ हिस्से आपको न मिल सकें तो वह आपके लिये पूर्णरूप से बेकार हो जाती हैं।

इसीलिये, प्रतिरक्षा का एक सही दृष्टिकोण, वास्तव में एक स्पष्ट दृष्टिकोण, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का ही है, जिसका अर्थ है कि ऐसे अमैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से बचा जाये जिनसे कि कोई विरोध पैदा होने की सम्भावना हो। और इसीलिये, इस लोक सभा में थोड़े से ही कुछ माननीय सदस्य, जो पड़ोसी देशों के बारे में कुछ संघर्षशील ढंग से बातें करते हैं और तलवार उठाने की वीरता पूर्ण कार्यवाही किये जाने की मांग करते हैं, किसी भी आदर्श को लाभ नहीं पहुंचाते हैं, संसार के किसी अन्य बड़े आदर्श को तो छोड़िये, वे निश्चय ही इस देश के आदर्श की भी पूर्ति नहीं करते हैं। हमें पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिये, यह तो एक बात है। यदि कोई आक्रमण करता है तो हमें उससे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिये यथाशक्ति कटिबद्ध रहना चाहिये, क्योंकि हमारी नीति जो भी हो, हमारी नीति कितनी ही शान्तिपूर्ण क्यों न हो, पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी उत्तरदायी सरकार किसी भी आपात-काल के लिये कटिबद्ध न रहने का खतरा मोल नहीं ले सकती। यह तो सच है। लेकिन, किसी भी प्रकार की संघर्षशीलता का दृष्टिकोण एक दूसरी बात है। वह न तो किसी गरिमापूर्ण राष्ट्र की शोभा ही देती है, न वह सुरक्षित ही है, और न संसार का कोई व्यक्ति उसे पसंद ही करता है। यह शक्ति का नहीं, दुर्बलता का चिह्न है। इसलिये हमें मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये और यह धारणा बनानी चाहिये

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कि कोई भी विषय, कोई भी झगड़ा इतना बड़ा नहीं है कि उसे युद्ध से ही निपटाया जाये। दूसरे शब्दों में युद्ध का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये। तथापि यह बात ठीक है कि केवल ऐसा कहने से ही युद्ध सदा के लिये बन्द नहीं हो जायेगा, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे पक्ष का दृष्टिकोण इससे भिन्न हो, मेरा अभिप्राय यह है कि इन सब राष्ट्रीय प्रश्नों का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों से है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से युद्ध प्रारम्भ होना अधिकाधिक कठिन हो जाये, तो राष्ट्रीय प्रश्न पर इसका प्रभाव पड़ता है। विदेशी नीति और प्रतिरक्षा नीति को निर्धारित करते समय हमारा दृष्टिकोण यह रहता है कि सब देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध रखे जायें।

दूसरी बात यह है कि देश की वास्तविक शक्ति औद्योगिक विकास से, सेना, नौसेना और विमान बल के लिये युद्धास्त्र बनाने की क्षमता से बढ़ती है, इसका अर्थ है सामान्य औद्योगिक विकास की आवश्यकता हम देश के सामान्य औद्योगिक विकास के बिना, एक टैंक या विमान बनाने वाला कारखाना स्थापित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिये बहुत से प्रविधिक रूप से प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है और इन के बिना ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। अतः आर्थिक विकास और प्रतिरक्षा दोनों के दृष्टिकोण से हमारा उद्देश्य उद्योगों, मशीनों बनाने वाले भारी उद्योगों का विकास करना होना चाहिये।

आप चाहे कितना ही परिश्रम क्यों न करें, इसके प्रति कितना ही उत्साह क्यों न दिखायें इसमें समय लगेगा। यह कहना ठीक है कि हमें इन बातों की ओर बहुत पहले से ध्यान देना चाहिये था। किन्तु हमें वर्तमान स्थिति को देखना चाहिये और भारी उद्योग, लोहा तथा इस्पात मशीन-निर्माण, संयन्त्रों, तेल के उत्पादन की ओर ध्यान देना चाहिये।

तेल को लीजिये। तेल के बिना आपकी मशीनें नहीं चल सकती हैं। यदि तेल मिलना बन्द हो जाये या देश में तेल कम हो, तो आपकी बड़ी बड़ी मशीनें धरी की धरी रह जायेंगी क्योंकि उनको चलाने वाली जीज तो है ही नहीं।

इन पहलुओं पर विचार करना है। लोगों का ख्याल है कि प्रतिरक्षा का अर्थ किसी आदमी के हाथ में बन्दूक देकर उसे इधर से उधर कदम मिला कर चलने का प्रशिक्षण देना मात्र ही है। यह विचार बहुत पुराना हो चुका है।

अब हमें एक बड़ी कठिनाई पेश आती है। हम माने लेते हैं कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं और वह रास्ता है देश के औद्योगीकरण का जो कि प्रतिरक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण दोनों से बहुत अच्छा है। किन्तु औद्योगीकरण में समय लगता है।

हर समय हमें दो पहलुओं को ध्यान में रखना है। एक यह है कि औद्योगीकरण की गति को तेज करने का अर्थ होता है जनता पर भार पड़ना। जनता इस भार को किस हद तक उठा सकती है? या तो हम गति को कम कर दें या अधिक भार उठायें। यह बात हमारी समस्त पंचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य गतिविधियों पर लागू होती है।

दूसरा पहलू यह है कि आप ठीक दिशा में जा रहे हैं और आप इसके लिये दस वर्ष में तैयार हो जायेंगे। किन्तु इन दस वर्षों में क्या होगा? इन दस वर्षों में तो आपको पराजित किया जा सकता है। आप के यह कहने से कि हम आक्रमण का मुकाबला करने के लिये तैयार नहीं हैं; शत्रु रुक नहीं जायेगा और आप के तैयार हो जाने तक की प्रतीक्षा नहीं करेगा। यह स्पष्ट है और यही कठिन समस्या कि शीघ्र होने वाले आक्रमण के लिये तैयारी की जाये या भविष्य के लिये दृढ़ सुरक्षा की स्थापना की जाये, हर देश के सामने आती है।

यदि आप तुरन्त आने वाले खतरे की ओर अधिक ध्यान देते हैं तो परिणाम यह होता है कि आप भविष्य के लिये अपनी शक्ति बढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके संसाधन उपयोगी काम में नहीं लाये

जा रहें हैं अपितु इस तरीके से आपकी शक्ति केवल अस्थायी रूप से बढ़ती है। आप बाहर से मशीनें या अन्य सामान मंगवाते हैं। उसके प्रयोग से आपको थोड़े समय के लिये कुछ संतोष प्राप्त होता है परन्तु वह कोई स्थायी बात नहीं है। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है, यदि कोई पुर्जा खराब हो जाये या आपको वह न मिल सके, तो आप निसहाय हैं। वास्तविक कठिनाई तो यही है। यह कठिनाई, हमारे पड़ोसी देश को काफी मात्रा में सैनिक सहायता प्राप्त होने के कारण हमारे लिये और भी गम्भीर हो गई है। मेरे अपने विचार से युद्ध की कोई अधिक संभावना नहीं है। भारत में युद्ध की कोई भी संभावना नहीं है। मैं यथार्थ रूप से सोचने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तथापि किसी आपात काल के उत्पन्न होने की संभाव्यता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और हम बड़ी कठिनाई में पड़ जाते हैं। मैं सदन को अपने विश्वास में लेना चाहता हूँ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कठिनाई यह है कि यदि हम हाल की सुरक्षा पर बहुत अधिक जोर दें, जिसका अर्थ है विभिन्न प्रकार की बहुत सी बड़ी-बड़ी मशीनों का विदेशों से खरीदा जाना, तो इससे हम अपनी प्रस्तावित भावी आर्थिक प्रगति का मार्ग अवरोध करते हैं। हमारे लिये और सदन के लिये यह एक बड़ी भारी समस्या है।

कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना को हटा कर इस बात पर जोर दिया जाये। किन्तु यह तो निराशावाद की बात है। इस समय हमारे सामने जो खतरे हैं उन्हें देखकर हमें भविष्य को भूल नहीं जाना चाहिये, तथापि हमें आज की चिन्ता भी करनी है। मैं इस समस्या का हल सदन को इस समय नहीं बता सकता, क्योंकि यह कोई ऐसी समस्या नहीं जो आज इसी क्षण हमारे समक्ष हो, यह तो एक ऐसी समस्या है जिस पर हमें दिन प्रति दिन मास प्रति मास विचार करना होगा। यह समस्या हम पर ठोसी गई है। कुछ हद तक यह समस्या हर देश के सामने सदैव खड़ी रहती है। किन्तु सन्धियों और सैनिक सहायता आदि के कारण यह समस्या बलात् हमारे ऊपर ठोसी गई है।

मैं सदन को यह विचारधारा नहीं अपनाने देना चाहता हूँ कि हम इस समस्या से अत्यधिक चिन्तित हैं। इस समस्या से कुछ चिन्तित होना हमारे लिये स्वाभाविक है और हम इसके बारे में आत्म-संतुष्ट नहीं हैं। किन्तु हम अनुचित रूप से भयभीत नहीं हैं। यदि हममें एकता न होती और बड़ी-बड़ी समस्याओं के मुकाबले में अपने संकुचित विचारों को भूल कर एक हो जाने की भावना न होती तो निस्संदेह हमें अधिक परेशानी होती।

अतः मुख्य समस्या यह है : कि आज के लिये सुरक्षा का सुनिश्चित करने के हेतु हम किस हद तक बलिदान कर सकते हैं और भविष्य के निर्माण में विलम्ब कर सकते हैं? सदन इस सत्र में कुछ दिन बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना पर विचार करेगा। इस चर्चा के दौरान मैं सदन को इस समस्या को ध्यान में रखना होगा कि यदि प्रतिरक्षा के बारे में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये परामर्श को स्वीकार किया जाये, तो हमें दूसरी पंचवर्षीय योजना को, यदि सम्पूर्णतया नहीं, तो उसके एक बड़े भाग को छोड़ देना होगा। अतः चित्र का केवल एक रख देखकर ही कोई निर्णय कर लेना हमारे लिये इतना सरल कार्य नहीं है।

मुख्यतया इन्हीं कारणों से हमने सैनिक सन्धियों और गठजोड़ों और सैनिक सहायता दिये जाने का विरोध किया है। हम देश के विकास के लिये असैनिक सहायता दिये जाने का स्वागत करते हैं, सैनिक सहायता की अपेक्षा ऐसी सहायता से अन्तः में देश की शक्ति अधिक बढ़ती है और इस से सम्बन्धित देशों पर और अन्य प्रभाव नहीं पड़ते हैं। किन्तु ऐशिया और अन्य स्थानों पर जिस प्रकार की घटनायें हुई हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इनके परिणामस्वरूप तनातनी और भय का वातावरण पैदा हो गया है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैंने सदन के सामने साफ-साफ बात की है क्योंकि इस समस्या से हमें परेशानी हो रही है; इस समस्या का कोई छुटपुट प्रतिकार भी नहीं हो सकता है; यह एक दो दिन तक रहने वाली समस्या नहीं है, बल्कि सदा रहने वाली समस्या है और हमें इसका सामना भी निरन्तर करते रहना पड़ेगा। हमें आशा है कि समय-समय पर हम जो भी निर्णय करेंगे, उनकी सूचना हम स्वाभाविक रूप से सदन को देंगे; क्योंकि इन निर्णयों का अन्य मामलों पर भी, चाहे यह पंचवर्षीय योजना हो या कोई अन्य विकास योजना हो, प्रभाव पड़ेगा। अतः सदन की पूर्ण सहानुभूति और समर्थन के बिना हम इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

† श्री कामत (होशंगाबाद) : प्रधान मंत्री ने सामान्य सिद्धान्तों के बारे में एक बहुत सुन्दर वक्तव्य दिया है। मुझे विश्वास है कि सदन इससे सहमत है। उन्होंने इस बात पर ठीक जोर दिया है कि आज के युद्ध से सभी लोग प्रभावित होंगे और युद्ध काल में प्रतिरक्षा की तैयारी हर देश में सारी जनसंख्या को करनी आवश्यक है।

मैं प्रधान मंत्री को आश्वासन देता हूँ कि यद्यपि पाकिस्तान अमरीकी सैनिक सहायता और भारतीय खाद्यान्नों से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, तथापि भारतीय जनता को कोई चिन्ता या भय नहीं है, क्योंकि उसे अपनी सेना की, जिसने काश्मीर और अन्य स्थानों पर संकटों का सामना किया है, शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। हमें याद रखना चाहिये कि पाकिस्तान ने बांडुंग सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और गोआ में पुर्तगाली साम्राज्यवादियों से गठजोड़ किया है। ऐसा गठजोड़ करके वह भारत पर आक्रमण तो करना नहीं चाहता है बल्कि जहाँ तक हो सके, उसे परेशान करना चाहता है। अतः मैं चाहता हूँ कि हम अपने राष्ट्र और सेना के तीन पहलुओं—जनशक्ति, सामान और साहस—की ओर विशेष रूप से ध्यान दें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि इन तीनों की स्थिति और भी अच्छी हो। हम अपनी सेना और जनता के साहस और मनोबल को बढ़ाने के लिये क्या कर रहे हैं? मैं पहले जनता को लेता हूँ। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि राज्य पुनर्गठन के मामले में सरकार को जनता पर गोली चलानी पड़ी और उड़ीसा और बम्बई में सेना की सहायता लेनी पड़ी है। मैं समझता हूँ कि इस से जनता की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

सेना के साहस तथा मनोबल के सम्बन्ध में, मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय के हाल ही के उस प्रस्ताव का निर्देश करना चाहता हूँ जिसके अन्तर्गत बहुत से पदाधिकारियों का अनिवार्य रूप से समय से पहले सेवा निवृत्त कर दिया जाने को है। मेरा सुझाव है कि राज्य को ऐसे पदाधिकारियों की सेवाओं से लाभ उठाना चाहिये। अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने पर इन्हें न केवल असैनिक पदों पर नियुक्त किया जा सकता है, बल्कि उन्हें सेना प्रधान कार्यालय में उन पदों पर, जिन पर असैनिक व्यक्ति काम कर रहे हैं या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले प्रविधिक पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। इनकी सेवाओं को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये।

सेना में जवानों की छोटी बड़ी सब प्रकार की शिकायतें हैं। मेरे पास उन सब का उल्लेख करने के लिये समय नहीं है। मैं केवल एक शिकायत की ओर ध्यान दिलाता हूँ और वह यह है कि जवानों को हजामत और कपड़ों की धुलाई के लिये केवल दो रुपये प्रति मास का भत्ता दिया जाता है। इतने कम भत्ते से कैसे अपना स्तर बनाये रख सकता है?

मैं एक और असुविधा का उल्लेख करना चाहता हूँ। मंत्रालयों के लिये जो स्थायी समितियाँ होती थीं, वह अब समाप्त कर दी गई हैं। मेरा अनुभव है कि बजट और सैनिक बजट का अध्ययन करने और विभिन्न मंत्रालयों से सम्पर्क बनाये रखने में हमें इनसे बहुत सुविधा मिलती थी। क्या